संख्या– 524 /43–2–2016

प्रेषक,

एस0एन0 शुक्ल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश सरकार।
(3) समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
(4) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

प्रशासनिक सुधार अनु0–2 लखनऊः दिनांकः 30 दिसम्बर, 2016

विषय :– **सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा जन सामान्य को मॉगी गयी वांछित सूचना निर्धारित समयावधि में उपलब्ध कराया जानी है। इस सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश सूचना आयोग द्वारा शासन के संज्ञान में यह लाया गया है कि जन सूचना अधिकारियों द्वारा सामान्यतः अधूरी सूचनाएं उपलब्ध करायी जाती है, जिसके कारण उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में अपीलों/शिकायतों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है तथा आवेदकों को सूचना प्राप्त करने हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके विभाग के अन्तर्गत स्थित समस्त लोक प्राधिकरणों में नियुक्त जन सूचना अधिकारियों को यह निर्देशित करने का कष्ट करें कि वे सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 व उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के परिप्रेक्ष्य में निम्नांकित बिन्दुओं पर कडाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करें :–

(1) प्रत्येक लोक प्राधिकरण में आर0टी0आई0 रजिस्टर, (उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के अन्तर्गत प्रारूप–3) होना अनिवार्य है।

(2) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के मुख्य द्वार पर जन सूचना अधिकारी व प्रथम अपीलीय प्राधिकारी का नाम, पदनाम, पता व दूरभाष सं0 की पट्टिका लगी होना अनिवार्य है।

– – 2/–

Scanned with CamScanner

(3) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(1)(b) में उल्लिखित 16 बिन्दुओं की सूचना को प्रकाशित करते हुये विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करायें तथा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने पर उक्त सूचनाओं को अद्यतन करें।

(4) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–4(2) के तहत स्वप्रेरणा (suo-moto) से अधिकांश सूचना का प्रकटन करें।

(5) सूचना का अधिकार अधिनियम का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को सूचना उपलब्ध कराना है। अतः निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराने हेतु अधिनियम की धारा–5(1) का उपयोग करते हुये प्रत्येक लोक प्राधिकरण में एक या एक से अधिक जन सूचना अधिकारी नामित किया जा सकता है।

(6) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा–5(4) के क्रम में प्रत्येक लोक प्राधिकरण में तैनात जन सूचना अधिकारी किसी सूचना को उपलब्ध कराने में अपने से कनिष्ठ या वरिष्ठ अधिकारी का सहयोग प्राप्त कर सकता है। उक्त स्थिति में अधिनियम की धारा–5(5) के अन्तर्गत वह अधिकारी जिससे सूचना प्राप्त की गई है, के क्रम में जन सूचना अधिकारी समझा जायेगा।

(7) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में मॉगी गयी वांछित सूचना उपलब्ध कराया जाना विधिक बाध्यता है।

(8) उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 4(5) के अन्तर्गत यदि मॉगी गयी वांछित सूचना अंशत या पूर्णत किसी एक अन्य लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तो जन सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्त होने के 5 दिवस के भीतर आवेदन पत्र को सम्बन्धित लोक प्राधिकरण को प्रारूप–4 पर अन्तरित करेगा। यदि मॉगी गयी वांछित सूचना दो या दो से अधिक लोक प्राधिकरण से सम्बन्धित है तब आवेदन को वापस करते हुये आवेदक को यह परामर्श दिया जायेगा कि वह पृथक–पृथक लोक प्राधिकरणों में अपना आवेदन प्रस्तुत करें।

(9) आवेदन अस्वीकृति करने मे उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 4(2) का प्रयोग सोच–समझ कर किया जाना चाहिये। यदि यह पाया जाता है कि नियम 4(2) का दुरूपयोग हो रहा है तो जन सूचना अधिकारी के विरूद्ध दण्डात्मक व अनुशासनात्मक कार्यवाही हो सकती है।

(10) आवेदन पत्र का विस्तृत परीक्षण किया जाना चाहिये तथा परीक्षण के पश्चात् यदि सूचना देने योग्य है और अतिरिक्त शुल्क की मॉग है तो निर्धारित प्रारूप–6 पर अतिरिक्त शुल्क की मॉग की जाये। शुल्क की मॉग करने से लेकर अतिरिक्त शुल्क प्राप्त होने तक के दिनों की संख्या सूचना प्रदान करने हेतु नियत समयावधि में सम्मिलित नहीं होगी। यदि 30 दिन तक

Scanned with CamScanner

सूचना नहीं प्रदान की जाती है या अतिरिक्त शुल्क की मॉग नहीं की जाती है तब अधिनियम की धारा–7(6) के तहत मॉगी गयी वांछित सूचना आवेदक को निःशुल्क उपलब्ध करानी होगी। अतः जन सूचना अधिकारी का यह प्रमुख दायित्व है कि आवेदक को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध कराई जाये अन्यथा निःशुल्क सूचना उपलब्ध कराने की दशा में राजस्व की हानि होगी तथा इसके लिये जन सूचना अधिकारी दोषी होंगे।

(11) तृतीय पक्ष (Third Party) से सम्बन्धित सूचनाएँ हेतु निर्धारित प्रकिया का अनुपालन करें।

(12) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा– 8, 9 व 24 तथा उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 के नियम 4(2) के तहत ही सूचना देने से मना किया जा सकता है अन्यथा समस्त सूचना देय है।

(13) सूचना प्रारूप–5 मे देय होंगी और यदि आवेदन की अस्वीकृति होती है तो वह प्रारूप–7 पर होगी और जन सूचना अधिकारी यह स्पष्ट करेगा कि उसके द्वारा अधिनियम की किस धारा या नियमावली के किस नियम के तहत व किस कारण से आवेदन को अस्वकृति किया गया है।

(14) उ0प्र0 सूचना का अधिकार नियमावली, 2015 में आवेदकों/जन सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी हेतु विभिन्न प्रारूप निर्धारित किये गये है जिससे पूरे प्रदेश में प्रकियात्मक एकरूपता बनी रहे। अतः आवेदन पत्र प्राप्त होने पर उस आवेदन से सम्बन्धित कार्यवाही निर्धारित प्रारूप पर ही किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

(15) प्रत्येक लोक प्राधिकरण के प्रथम अपीलीय प्राधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन करे और अपने द्वारा पारित किये गये आदेश का अनुपालन करायें।

भवदीय,

(एस0 एन0 शुक्ल)
अपर मुख्य सचिव।

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, आर0टी0आई0 भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
2. संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।

आज्ञा से,

(डा0 नन्द लाल)
संयुक्त सचिव।

Scanned with CamScanner